हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई0एस0ओ0 9001:2015 प्रमाणित संस्थान)

प्रेषकः	सेवा में,
सचिव, हरियाणा वि0 शि0 बोर्ड, भिवानी	सभी प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक

क्रमांक 38 / सी0सै0 / स0स0

दिनांक : 12.02.2021

विषयः—सैकेण्डरी और सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा अप्रैल—2021 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय / स्थाई एवं अस्थाई मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों से केन्द्र ऑप्शन (Place Code) भरवाने एवं स्टाफ स्टेटमैंट तथा छात्रों के विवरणों में शुद्धि हेतु दिशा—निर्देशों बारे।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है किः—

01. सैकेण्डरी / सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा अप्रैल—2021 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा केन्द्र की ऑप्शन दिनांक 12.02.2021 से 17.02.2021 तक भरवाई जा रही है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय निर्धारित तिथि तक विद्यालय की लॉगिन आई.डी.(Login ID) से केन्द्र की ऑप्शन (Place Code) भरना सुनिश्चित करें। यदि कोई विद्यालय उक्त निर्धारित तिथियों में केन्द्र ऑप्शन नहीं भरता है, तो ऐसी अवस्था में बोर्ड कार्यालय द्वारा स्वंय नीति अनुसार परीक्षा केन्द्र जारी कर दिया जाएगा, जिसके लिए विद्यालय स्वंय जिम्मेवार होगा तथा पुनः केन्द्र ऑप्शन भरने की अनुमति बारे दिए गए किसी भी प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
02. विद्यालयों द्वारा भरी गई स्टाफ स्टेटमैंट में यदि कोई अध्यापक, प्राध्यापक व प्रधानाचार्य किसी प्रकार के अवकाश (CCL,Medical,Privilege,Earned leave & Any other leave) पर हो या सेवानिवृत हो चुके हों, मोबाईल नम्बर में कोई अशुद्धि हो या अन्य कोई कारण है तो उसे भी दिनांक 17.02.2021 तक अपडेट करना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में शुद्धि के लिए इससे पूर्व भी दिनांक 27.01.2021 से 10.02.2021 तक का समय दिया गया था।
03. सैकेण्डरी / सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा अप्रैल—2021 के नियमित परीक्षार्थियों की चैक लिस्ट में विद्यालयों द्वारा शुद्धि किए जाने के लिए दिनांक 27.01.2021 से 10.02.2021 तक तिथि निर्धारित की गई थी। इसके उपरान्त भी यदि किसी विद्यालय द्वारा परीक्षार्थियों की चैक लिस्ट में किसी विवरण जैसेः—फोटो / हस्ताक्षर / विषय / आधार नम्बर / जन्म—तिथि इत्यादि में कोई शुद्धि करवाई जानी है तो मूल रिकॉर्ड सहित दिनांक 24.02.2021 तक बोर्ड कार्यालय में उपस्थित हो कर 300 / —रु प्रति शुद्धि शुल्क सहित शुद्धि करवा सकते हैं। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार की शुद्धि बारे किसी भी प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अतः सभी प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक उपरोक्त वर्णित बिन्दूओं अनुसार समय रहते कार्रवाई करना सुनिश्चित करें इसके उपरान्त किसी भी प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ।

भवदीय,

सहायक सचिव(सै0 / सी0सैकेण्डरी)
कृते : सचिव,
12/2/21